पहली बार 120 किमी की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

नागौद से फुलवारी के बीच सीआरएस स्पेशल ट्रेन का परीक्षण

नवभारत न्यूज

सतना,24 मार्च. बहुप्रतीक्षित ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के सतना-पन्ना रेलखंड पर मंगलवार को पहली बार पन्ना बॉर्डर तक ट्रेन पहुंची। नागौद से फुलवारी के बीच 15 किलोमीटर के रेल सेक्शन में सीआरएस स्पेशल ट्रेन ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल किया।

मुंबई के रेल संरक्षा आयुक्त (CRS) गुरु प्रकाश ने अपनी टीम के साथ सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक गहन निरीक्षण किया। उन्होंने नागौद स्टेशन के रिले रूम, रेलवे ट्रैक, क्रॉसिंग पॉइंट, ब्रिज संरचना, गार्डर, बैलास्ट, स्लीपर, पटरियों के जोड़, रेलवे फाटक और स्टेशन यार्ड की बारीकी से जांच की। साथ ही, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम और पुलियों की स्थिति का भी मूल्यांकन किया गया। इस निरीक्षण के दौरान सीआरएस गुरु प्रकाश के साथ डीआरएम कमल कुमार तलरेजा, कंस्ट्रक्शन विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जोन सिंह मीना, डीईएन मंटू सिंह, एडीई रशीद अहमद, एरिया मैनेजर नरेंद्र सिंह और असिस्टेंट कमांडेंट बीपी कुशवाहा सहित मंडल व जोन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

45 किलोमीटर का कार्य हुआ पूरा

स्पीड ट्रायल के सफल रहने के बाद जल्द ही इस सेक्शन में ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। सतना-पन्ना रेलखंड में कुल 72 किलोमीटर रेल लाइन का कार्य होना है, जिसमें से 45 किलोमीटर का कार्य अब तक पूरा हो चुका है। अब फुलवारी से पन्ना के बीच 27 किलोमीटर के दो सेक्शन का कार्य प्रगति पर है। रेल अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष के अंत तक यह कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है।

अवैध कॉलोनी पर एफआईआर के आदेश

कलेक्टर के आदेश पर दो कॉलोनाइजरों पर मामला दर्ज होगा

नवभारत न्यूज

रीवा, 24 मार्च, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने दो अवैध कालोनी बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

कलेक्टर न्यायालय से जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार एसडीएम हुजूर को मेसर्स शांति इंफ्रास्ट्रक्चर एवं शांति विलास इंफ्रा प्रोजेक्ट के संचालक उपेन्द्र सिंह तथा करहिया में अवैध रूप से प्लाट एवं कालोनी बनाने पर शाहीन बेगम पति मोहम्मद शहीद अंसारी तथा अमरीन अंसारी पिता मेराज अहमद अंसारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं. सक्षम प्राधिकारी की अनुमति तथा कालोनाइजर लाइसेंस बिना प्राप्त किए कालोनी का निर्माण करने एवं अवैध निर्माण करके बीहर नदी के बहाव को अवरूद्ध करने के प्रयास के कारण यह कार्रवाई की गई है. इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार उपेन्द्र सिंह द्वारा बीहर नदी के किनारे शांति विलास इंफ्रा प्रोजेक्ट एवं शांति इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से शांति रायल स्टेट कालोनी विकसित की जा रही है. इसके लिए कालोनाइजर लाइसेंस नहीं लिया गया है. बिना अनुमति के प्लाट और फ्लैटों की बिक्री की जा रही है. इसके साथ-साथ बीहर नदी के बाएं तट में मिट्टी और मलवा डालकर नदी के अपवाह क्षेत्र को बाधित करने का प्रयास किया गया है जो एनजीटी के मानक के प्रतिकूल है. इनके द्वारा मड़ी और करहिया स्थित नालों के स्वरूप को परिवर्तित करके इन्हें संकरा किया गया है. प्रकरण की एसडीएम हुजूर तथा प्रभारी अधिकारी कालोनी सेल से जाँच कराई गई. जिसमें पाया गया कि कालोनाइजर श्री सिंह द्वारा ग्राम पंचायत करहिया नम्बर एक के सरपंच से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कालोनी का निर्माण किया गया है. जबकि कालोनी विकास नियम 2014 के तहत कालोनाइजर का पंजीकरण कराने एवं अनुमति देने के लिए शासन द्वारा कलेक्टर को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है. मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियम अध्याय 4 नियम 21 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी अवैध कालोनी को अपने हाथ में ले सकता है. इसलिए मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 2013 की धारा 61-घ की उपधारा 3 के अनुसार अवैध कालोनाइजर के विरूद्ध थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए.

इसी तरह शाहीन बेगम तथा अमरीन अंसारी द्वारा करहिया में अवैध प्लाटिंग एवं कालोनी का निर्माण किया जा रहा है. इसके लिए कालोनाइजर एवं लाइसेंस एवं विकास अनुज्ञा की अनुमति नहीं ली गई है. साथ ही बीहर नदी के बाईं ओर मिट्टी और मलवा डालकर नदी के अपवाह क्षेत्र को बाधित करने का प्रयास किया गया है. एसडीएम द्वारा मामले की जाँच करने पर कालोनाइजर द्वारा केवल कृषि भूमि का उल्लेख किया गया है. जबकि सेटेलाइट इमेज से दोनों कालोनाइजरों के स्वामित्व के खसरों में मकान बने होना पाया गया. कालोनी विकास नियम 2014 के तहत कालोनाइजर का पंजीकरण कराने एवं अनुमति देने के लिए शासन द्वारा कलेक्टर को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है.

जांच के लिए कमेटी गठित

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियम अध्याय 4 नियम 21 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी अवैध कालोनी को अपने हाथ में ले सकता है. इसलिए मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 2013 की धारा 61-घ की उपधारा 3 के अनुसार अवैध कालोनाइजर के विरूद्ध थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए. अवैध रूप से कालोनी निर्माण करने पर भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के प्रावधानों के तहत कालोनाइजर को दोषी पाए जाने पर तीन से सात के कारावास तथा दस हजार रुपए तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है. कलेक्टर ने इन दोनों प्रकरणों की जाँच के लिए चार सदस्यीय टीम गठित की है. इसमें एसडीएम हुजूर, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, एसडीओ लोक निर्माण विभाग तथा एसडीओ लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी शाखा को सदस्य बनाया गया है. समिति को एक माह में जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. तहसीलदार हुजूर को भू अभिलेख को अद्यतन करके तीन दिवस में प्रस्तुत करने तथा एक सप्ताह में कब्जा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

कठौतहा वन क्षेत्र के पहाड़ों में लगी भीषण आग

डेढ़ किलोमीटर तक जंगल खाक

नवभारत न्यूज

सीधी, 24 मार्च. चुरहट रेंज के वन परिक्षेत्र कठौतहा अंतर्गत बढ़ौरा एवं बरिगवां के पहाड़ में मंगलवार दोपहर से भीषण आग धधक रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते करीब डेढ़ किलोमीटर तक का जंगल जलकर खाक हो गया। इस दौरान बड़ी मात्रा में कीमती इमारती पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोपहर में अचानक पहाड़ पर आग भड़क उठी, जो तेज हवाओं के कारण लगातार फैलती गई। आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है, ग्रामीणों के मुताबिक वन विभाग द्वारा शाम 7 बजे तक आग पर काबू पाने के ठोस प्रयास नजर नहीं आए। घटना को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि समय रहते यदि प्रयास किए जाते तो इतनी बड़ी क्षति से बचा जा सकता था। आग के कारण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है बल्कि आसपास भी दहशत है।

आग हुई बेकाबू

फिलहाल आग पर काबू पाने की कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बन पाई है। अब देखना यह होगा कि वन विभाग कब तक इस भीषण आग पर नियंत्रण पाने में सफल होता है।

ट्रेक्टर ने युवक को रौंदा मौके पर हुई मौत

सीधी, 24 मार्च. जिले के मझौली थानांतर्गत खमचौरा गांव में आज तड़के तेज रफ्तार ट्रेक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। थाना प्रभारी विशाल शर्मा ने बताया कि आज सुबह करीब 4.30 बजे यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेक्टर के नीचे आने से छोटेलाल सिंह गोंड़ निवासी पांड की मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा और पोस्ट मार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी ट्रेक्टर चालक के विरुद्ध मामला पंजीवद्ध कर पुलिस विवेचना जारी है।

घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला

मां-बेटियों को सड़क पर घसीटा, घोघर में दो पक्षों में हुआ विवाद

नवभारत न्यूज

रीवा, 24 मार्च, शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र घोघर में बीती रात एक ही परिवार के दो पक्षों मे जमकर मारपीट हुई. यहा एक पक्ष ने घर मे घुसकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया.

पहले दबंगों ने घर के भीतर मारपीट की फिर महिलाओं को सड़क पर घसीट कर पीटा. मारपीट की इस घटना मे एक पक्ष से पति पत्नी सहित उनकी दो पुत्रियां घायल हुई है, जिन्हें फिलहाल उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल मे भर्ती कराया गया है. घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र घोघर स्थित श्रम कल्याण के सामने की बताई जा रही है, जहां पड़ोस मे रहने वाले लोगों ने पहले परिवार पर चारित्रिक आरोप लगाए, इसके बाद उन पर जानलेवा हमला कर दिया. फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. जहां से घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, साथ ही घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी गुड्डा खान, कैश अली, हैदर अली, आकिब और मुस्कान बानो के द्वारा पड़ोसी परिवार पर हमला किया गया था. घटना में मेहरुन्निसा, सरवरी बेगम, साइना बनो और शौकत को गंभीर चोट आई थी जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपियों के द्वारा बीच सड़क पर महिलाओं के साथ मारपीट की गई. गनीमत रही की मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी फरार हो गए, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है.

लॉजिस्टिक कंपनियों के नाम पर ठगी करने का आरोप

एसपी के यहां आवेदकों ने की है लिखित शिकायत, साढ़े 25 लाख रुपए का है मामला

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 मार्च। जिले में लॉजिस्टिक कंपनियों के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। अलग-अलग आवेदनों के जरिए सामने आई इस शिकायत में कुल 25 लाख 55 हजार 145 रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बैढ़न क्षेत्र में रहने वाले प्रार्थियों ने आरोप लगाया है कि एकार्ट लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी लॉजिस्टिक्स में काम दिलाने के नाम पर उनसे बड़ी रकम ली गई। एक आवेदक से करीब 2 लाख रुपये, दूसरे से 8 लाख रुपये और तीसरे मामले में 15 लाख 55 हजार 145 रुपये की राशि ली गई। आरोप है कि रकम लेने के बाद न तो काम दिया गया और न ही पैसे वापस किए गए। आवेदनों में यह भी उल्लेख है कि जब पीड़ितों ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों द्वारा उन्हें धमकाया गया। झूठे केस में फंसाने, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप भी लगाए गए हैं। साथ ही आरोपियों के परिवार के अन्य सदस्यों पर भी अभद्र व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। एक आवेदक ने बताया कि हमसे काम दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन जब काम नहीं मिला और हमने पैसे वापस मांगे तो हमें धमकाया जाने लगा। अब न्याय के लिए प्रशासन के पास आना पड़ा है।

पुलिस को भी दी जानकारी

पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने पहले भी बैढ़न कोतवाली में आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सभी ने एक बार फिर एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए पूरी राशि वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच किए जाने की बात कही जा रही है।

बढ़ौरा में पति ने पत्नी को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार

नवभारत न्यूज

सीधी, 24 मार्च. जिले के सेमरिया थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बढ़ौरा में पति ने अपनी पत्नी को पीट- पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

बेरहमी से हुई हत्या की दिल दहला देने वाली घटना सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना 23-24 मार्च की दरम्यानी रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी पति मिथिला कोल उर्फ ललबा नशे की हालत में था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी उमा कोल से विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में आकर उसने पहले पत्नी को बांधा और फिर डंडे से लगातार हमला करता रहा। मारपीट इतनी क्रूर थी कि महिला उमा कोल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना की सूचना आरोपी की मां सरस्वती कोल द्वारा दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा ।

इनका कहना है

प्रथम दृष्टया महिला की मौत गंभीर चोटों के कारण हुई प्रतीत हो रही है। गला दबाने की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है।

केदार परौहा
थाना प्रभारी सेमरिया

प्रभारी मंत्री ने किए मां शारदा देवी के दर्शन

नवभारत न्यूज

मैहर ,24 मार्च. मध्यप्रदेश शासन की पंचायत और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री एवं मैहर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने मंगलवार को मैहर जिले के प्रवास के दौरान मां शारदा देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की।

प्रभारी मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने मंदिर परिसर में चल रहे चैत्र नवरात्रि मेला में माता का दर्षन करने आये श्रद्धालुओं से भेंट मुलाकात कर सुरक्षा और सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा उन्हें प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एमएलसी के लिए आए युवक को डॉक्टर ने मारा थप्पड़

नुकीली चीज से हमला करने का भी आरोप

नवभारत न्यूज

सीधी, 24 मार्च. जिला अस्पताल में आज दोपहर मारपीट के मामले में एमएलसी के लिए लाये गये एक युवक ने डॉक्टर पर थप्पड़ से मारने एवं नुकीली चीज से हाथ पर हमला करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

युवक की चीख पुकार सुन भीड़ जमा हो गई। मौके पर अस्पताल चौकी पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कमर्जी थानांतर्गत कोल्हुडीह गांव में सोमवार को अर्पित जोगी उम्र 19 वर्ष के साथ मारपीट का मामला सामने आया। अर्पित ने आरोप लगाया कि मनीष तिवारी और पप्पू तिवारी ने पेट्रोल टंकी के पास उस पर हमला किया। यह विवाद लगभग एक साल पहले अर्पित के भाई मोहित जोगी के साथ हुए झगड़े से जुड़ा बताया जा रहा है। आज मंगलवार दोपहर अर्पित अपनी मां बुट्टन जोगी और कमर्जी थाना पुलिस के साथ मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचा था। अर्पित ने आरोप लगाया कि डॉ. असलम खान ने उसकी एमएलसी रिपोर्ट पूंछने पर अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने पर डॉक्टर ने उसे थप्पड़ मारा और हाथ पर नुकीली वस्तु से हमला किया जिससे अर्पित घायल हो गया।

इनका कहना है

मामले को गंभीरता से लिया गया है । डॉ. असलम खान के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली हैं और वे स्वयं थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करेंगे।

डॉ. एसबी खरे, सिविल सर्जन जिला सीधी

मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पुलिस फिलहाल हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है।

अभिषेक उपाध्याय, थाना प्रभारी कोतवाली

सीलफ में अधिग्रहित भूमि पर बन रहीं दर्जनों खपरैल झोपड़ियां

- भू-अर्जन कार्यालय के कर्मचारी व हल्का पटवारी की भूमिका संदेह के दायरे में

नवभारत न्यूज

देवसर 24 मार्च। ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना अंतर्गत सिंगरौली जिले के देवसर तहसील के ग्राम सीलफ में रेलवे के निश्चित रूट पर महीने भर के अंदर दर्जनों खपरैल झोपड़ियां का अवैध निर्माण हो रहा है, किंतु उक्त झोपड़ियो के निर्माण को लेकर प्रशासन मौन है ।

बताया जाता है कि देवसर तहसील के ग्राम सीलफ प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से महज 100 मीटर दूर और त्रिभुवन सिंह के घर के पीछे एक नाले में जो की रेलवे का निर्धारित मार्ग बताया जाता है, वहां महीने भर के अंदर तकरीबन एक दर्जन के करीब खपरैल झोपड़ियों का निर्माण हो चुका है। यदि सूत्रों की मांने तो सीलफ में हो रहे रेलवे लाइन की भूमि पर अवैध निर्माण के पीछे संबंधित हल्का पटवारी, भू-अर्जन कार्यालय के कर्मचारी और गांव का एक यादव जो पूर्व में भी अपनी सेटिंग से लाखों का मुआवजा हथिया चुका है। इन सब का हाथ होना बताया जाता है। मुआवजा खोरो के इस अनैतिक कार्य को लेकर सिंगरौली कलेक्टर से जांच एवं कार्यवाही की मांग की गई है।

विकासखण्ड स्तरीय रोजगार मेला आज बिरसिंहपुर में

सतना 24 मार्च. शासकीय आईटीआई एवं रोजगार कार्यालय सतना द्वारा 30 मार्च 2026 तक सतना एवं मैहर जिले में स्थित समस्त आईटीआई में एसआईएस सिक्योरिटी सर्विस का एक दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जायेगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि 25 मार्च को नगर परिषद एवं जनपद पंचायत बिरसिंहपुर, 26 मार्च को नगर परिषद एवं जनपद पंचायत कोठी तथा 30 मार्च को जिला रोजगार कार्यालय सतना में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जायेगा।

शराब के नशे में बेटे ने पिता की ली जान, चितरंगी में सनसनी

नवभारत न्यूज

सिंगरौली,24 मार्च। थाना चितरंगी क्षेत्र के ग्राम सुदा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी दयाराम कोल पिता भुलई कोल उम्र 27 वर्ष निवासी सुदा अक्सर शराब के नशे में अपने पिता भुलई कोल पिता सुखदेव कोल उम्र 60 वर्ष के साथ मारपीट करता था। रविवार की रात करीब 12:30 बजे दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद जान बचाने के लिए भुलई कोल अपने भाई के घर जाकर सोने चला गया था। बताया जा रहा है कि बीते दिन सोमवार की सुबह करीब 8 बजे आरोपी फिर वहां पहुंचा और पिता के साथ दोबारा विवाद करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक संघर्ष होता रहा। आसपास के लोग बीच-बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन आरोपी के आक्रामक रवैये के चलते वे सफल नहीं हो सके। गंभीर रूप से घायल भुलई कोल ने सुबह लगभग 8:30 बजे दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही चितरंगी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी दयाराम कोल को हिरासत में ले लिया। आरोपी को भी घटना के दौरान चोटें आई हैं, जिसका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना का मुख्य कारण शराब है, क्योंकि घटना के समय दोनों ही नशे की हालत में थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

इनका कहना है

ग्राम सुदा में भुलई कोल को उसके पुत्र दयाराम कोल ने पारिवारिक विवाद को लेकर रात में मारपीट किया गया और आज सुबह भी मारपीट की गई। जिसके वजह से भुलई कोल उम्र 60 वर्ष की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके से पहुंच शव को अपने कब्जे में लेते हुये संदेही आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछतांछ की जा रही है।

राहुल कुमार सैयाम
एसडीओपी, चितरंगी

ARPINA
MULTI-STATE CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LTD., NAGPUR
MSCS/CR/1642/2025
"A" word begins with us...

WALK IN INTERVIEW
HIRING ACROSS ALL CADRES

Eligibility :
• Graduation Degree with Banking Knowledge
• Proficiency in MS Excel
• Good Command on English & Local Language

Attire : Formal

Locations : Ujjain | Harda | Dewas | Narmadapuram
Khandwa | Katni | Satna | Timarni

NARMADAPURAM — Date : 27 March 2026, Time : 11:00 AM to 2:00 PM
Venue : Ground Floor, Mouza Jalalabad, Ward No. 12, Rudra Enclave Colony, In front of Collector Bungalow, Malakhedi Road, Narmadapuram – 461001

KHANDWA — Date : 27 March 2026, Time : 11:00 AM to 2:00 PM
Venue : 501, 5th Floor, Landmark One, Mansingka Tiraha, Pandhana Road, Khandwa (M.P.) – 450001

HARDA / TIMARNI — Date : 27 March 2026, Time : 11:00 AM to 2:00 PM
Venue : Bafana Tower, Ground Floor, Shop No. 4, Sardar Vallabhbhai Patel Ward, Ward No. 16, Indore Road, Harda (M.P.) – 461331

UJJAIN / DEWAS — Date : 28 March 2026, Time : 10:00 AM to 2:00 PM
Venue : 35, Ground Floor, Vidyapati Nagar, Near Hotel Maharaja, Indore Road, Ujjain (M.P.)

Arpina Multi State Credit Cooperative Society Limited
Contact : 0712-2990733 / 70382 25428
Email : arpinamscs9@gmail.com Website : www.arpinamscs.com
nikitamedia.in

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित . संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99